हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) – 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)
दूरभाष / Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स / Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक सं. : ग.वि.वि. / प्रशासन / विज्ञप्ति रा.से.यो. / 2024 / 018 दिनांक : 05 / 01 / 2024

नियुक्ति विज्ञप्ति

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में **कार्यक्रम समन्वयक (अंशकालिक)** [Part-time Programme Coordinator] राष्ट्रीय सेवा योजना पद पर प्रतिनियुक्ति / अल्पकालिक संविदा के आधार पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से **दिनांक 12 / 01 / 2024 सायं 5:00 बजे तक** आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत विवरण हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट www.hnbgu.ac.in देखें।

05.1.24
कुलसचिव

F.N- comp. 2/2021/NSS Coordinator (Selection) P-14

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) – 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष / Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स / Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक सं॰ : ग॰वि॰वि॰ / प्रशासन / विज्ञप्ति रा॰से॰यो॰ / 2024 / 019 दिनांक : 05 / 01 / 2024

नियुक्ति विज्ञप्ति
कार्यक्रम समन्वयक (अंशकालिक), राष्ट्रीय सेवा योजना

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में **कार्यक्रम समन्वयक (अंशकालिक)** [Part-time Programme Coordinator] राष्ट्रीय सेवा योजना पद पर प्रतिनियुक्ति / अल्पकालिक संविदा के आधार पर चयन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार अर्ह अभ्यर्थियों से संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन की **अन्तिम तिथि 12 / 01 / 2024 सायं 5:00 बजे** तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

पद हेतु निर्धारित अर्हतायें :–

क– हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) या इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) / असिस्टेंट प्रोफेसर (सीनियर स्केल) पद पर कार्यरत शिक्षक।

ख– हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य (रीडर / एसोसिएट प्रोफेसर स्तर) जिनकी राष्ट्रीय सेवा योजना की पृष्ठभूमि रही हो।

ग– आवेदक राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि हेतु कार्यक्रम अधिकारी रहा हो।

घ– आवेदक द्वारा प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र / प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र (TOC/TORC) से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास (Orientation) किया होना चाहिए।

ड़॰– कार्यक्रम समन्वयक के पद पर चयन के समय आवेदक की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्यक्रम समन्वयक का कार्यकाल (Term/Tenure of Programme Coordinator)

कार्यक्रम समन्वयक (अंशकालिक) की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि हेतु प्रतिनियुक्ति / अल्पकालिक संविदा के आधार पर की जाएगी, जिसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि हेतु विस्तारित किया जा सकता है। कार्यक्रम समन्वयक स्थाई आधार पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

कार्यक्रम समन्वयक के पद पर चयन विश्वविद्यालय द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

उक्तानुसार इच्छुक आवेदनकर्त्ता आवेदन की अन्तिम तिथि 12/01/2024 सायं 5:00 बजे तक पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र संलग्नकों सहित कुलसचिव, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल) के पते पर पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं। अपूर्ण अथवा अंतिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

05-1-24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त परिसर निदेशक/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय।
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय।
3. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय, 8वां तल, हॉल—01, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- H, अलीगंज, लखनऊ।
4. राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रभारी, समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय।
6. वित्त अधिकारी, हे०न०ब० गढ़वाल विश्वविद्यालय। ।
7. उप कुलसचिव (नियुक्ति प्रकोष्ठ)।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर को विश्वविद्यालय वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।
9. जनसम्पर्क अधिकारी को समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
10. निजी सचिव प्रति कुलपति, मा० प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ।
11. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
12. कार्यालय प्रति/नोटिस बोर्ड।

कुलसचिव

F.N- comp. 2/2021/NSS Coordinator (Selection) P-12

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) – 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

दूरभाष / Telephone : 01346 - 252143 (O)
फैक्स / Fax : 01346 - 252247 (O)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक सं॰ : दिनांक :

कार्यक्रम समन्वयक (अंशकालिक), राष्ट्रीय सेवा योजना पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र॰सं॰	विवरण	प्रविष्टि	संलग्नक (प्रमाण पत्र)
1.	आवेदक का नाम		
2.	पदनाम		
3.	वेतनमान		
4.	वर्तमान वेतनमान में नियुक्ति की तिथि		
5.	विभाग एवं संस्थान का नाम		
6.	आवेदक की जन्मतिथि		
7.	आवेदक की आयु (आवेदन की अंतिम तिथि को)		
8.	आवेदक की शैक्षिक योग्यता		
9.	राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के कार्यानुभव का विवरण		
10.	प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास केन्द्र / प्रशिक्षण अभिविन्यास तथा अनुसंधान केन्द्र (TOC/TORC) से राष्ट्रीय सेवा योजना पर अभिविन्यास (Orientation) प्रशिक्षण का विवरण		
11.	आवेदक के प्रशासनिक कार्यानुभव का विवरण		
12.	आवेदक के कार्यानुभव सम्बन्धी अन्य विशिष्ट विवरण, यदि कोई हो।		

आवेदक के हस्ताक्षर ....
आवेदक का पूरा नाम ....
आवेदक का पता ....
आवेदक का ई–मेल / मो॰न॰ ....

आवेदक के नियंत्रक अधिकारी / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रसारण :

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पदनाम ....
विभाग / संस्थान का नाम ....

Recvd from Ajay Agarwal NSS UK

संख्या : 350/रा.से.यो./मा.सं.वि./22(2002)

प्रेषक,

संजय कुमार
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन, देहरादून

सेवा में,

1. कुलपति,
राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त
विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
2. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तरांचल, देहरादून।
3. निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तरांचल देहरादून।

राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ (मासविवि) देहरादून दिनांक : 6 मार्च 2003

विषय :– राष्ट्रीय सेवा योजना अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति, अर्हताएं तथा कर्त्तव्य आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम समन्वयकों की नियुक्ति, अर्हताओं तथा कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्धारित किये जाते हैं :–

2. अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/विद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्था से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायें। कार्यरत कार्यक्रम समन्वयक के कार्यकाल समाप्ति के छः माह पूर्व निर्धारित चयन समिति के माध्यम से नये कार्यक्रम समन्वयक के चयन हेतु नियुक्ति

की प्रक्रिया प्रारम्भ कर ली जाय। कार्यक्रम समन्वयक के चयन समिति की बैठक आहूत करने से पूर्व प्रदेश शासन तथा भारत सरकार के क्षेत्रीय केन्द्र को सम्बन्धित विज्ञप्ति की एक प्रति एक माह पूर्व उपलब्ध करायी जाय। कार्यक्रम समन्वयक के चयन/कार्यकाल विस्तारण हेतु अभ्यर्थी को स्वयं साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा तथा इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

3. भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति निम्नांकित रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से की जाय :-

(अ) विश्वविद्यालय की दशा में :-

(i) विश्वविद्यालय के कुलपति .... अध्यक्ष

(ii) सचिवालय में राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित विभाग के सचिव अथवा उनके नामिनी .... सदस्य

(iii) राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय केन्द्र के उप/सहायक कार्यक्रम सलाहकार से अनिम्न स्तर के अधिकारी .... सदस्य

(iv) विश्वविद्यालय के कुल सचिव .... सदस्य-सचिव

(ब) माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की दशा में :-

(i) शिक्षा सचिव अथवा उनके नामिनी .... अध्यक्ष

(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय केन्द्र के उप/सहायक कार्यक्रम सलाहकार से अनिम्न स्तर के अधिकारी .... सदस्य

(iii) राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य सम्पर्क अधिकारी .... सदस्य

(iv) निदेशक (माध्यमिक/प्राविधिक शिक्षा) .... सदस्य-सचिव

4. विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 तक आंबटित छात्र संख्या की दशा में कार्यक्रम समन्वयक का कार्य, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कार्यक्रम समन्वयक के पद के लिए निम्नलिखित अर्हताऐं निर्धारित की गयी हैं :-

उच्च शिक्षा की दशा में वह विश्वविद्यालय परिसर या सम्बद्ध महाविद्यालय में रीडर / प्रवक्ता (चयन वेतनमान) / प्रवक्ता (वरिष्ठ वेतनमान) पद पर कार्यरत हो।

अथवा

सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य जिन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना का अनुभव व रीडर पदनाम प्राप्त हो ;

माध्यमिक शिक्षा की दशा में जिला विद्यालय निरीक्षक से अनिम्न स्तर का अधिकारी / प्राधानाचार्य ;

प्राविधिक शिक्षा की दशा में संयुक्त निदेशक (प्राविधिक शिक्षा) से अनिम्न स्तर का अधिकारी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु निम्नलिखित अर्हताऐं पूर्ण होनी अनिवार्य हैं :-

(i) वह न्यूनतम तीन वर्षों तक राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी रहा हो, तथा

(ii) उसे राष्ट्रीय सेवा योजना का अभिविन्यास प्रशिक्षण प्राप्त हो, तथा

(iii) कार्यक्रम समन्वयक के चयन हेतु आहूत बैठक के दिन उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।

6. माध्यमिक व प्राविधिक शिक्षा की दशा में उपर्युक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित अर्हताओं वाले अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में क्रमशः संयुक्त निदेशक (माध्यमिक शिक्षा मण्डल) तथा संयुक्त निदेशक (प्राविधिक शिक्षा) द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

7. चयन समिति द्वारा कार्यक्रम समन्वयक का चयन तीन वर्ष के लिये किया जाय। यदि किसी कार्यक्रम समन्वयक का कार्य उच्चकोटि का हो, तो उसके कार्यों की समीक्षा कर प्रस्तर-3 में उल्लिखित चयन समिति द्वारा संबंधित कार्यक्रम समन्वयक के साक्षात्कार के उपरान्त उसके कार्यकाल में अधिकतम एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। कार्यकाल विस्तार के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाय जबकि संबंधित कार्यक्रम समन्वयक द्वारा शासन को सभी वांछित आख्यायें व्यय विवरण [illegible]

इत्यादि निर्धारित तिथियों में उपलब्ध करायी गई हों। कार्यकाल विस्तरण पर विचार करते समय कार्यक्रम समन्वयक पद हेतु नये आवेदकों से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जायें ताकि कार्यकाल विस्तरण पर स्वीकारोक्ति न होने की दशा में नये कार्यक्रम समन्वयक का चयन किया जा सके।

8. विशेष परिस्थितियों में कार्यक्रम समन्वयक का पद रिक्त होने पर कुलपति/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राविधिक शिक्षा) द्वारा क्रमशः विश्वविद्यालय/माध्यमिक शिक्षा मण्डल/प्राविधिक शिक्षा निदेशालय में तदर्थ रूप से अधिकतम 6 माह तक प्रस्तर–5 में उल्लिखित अर्हता रखने वाले व्यक्ति को कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ रूप से नियुक्त कार्यक्रम समन्वयक के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार सीमित होंगे। उन्हें संबंधित वित्तीय वर्ष के केवल एक तिहाई तक के अनुदान की ही वित्तीय स्वीकृति संस्तुत करने का अधिकार होगा।

9. कार्यक्रम समन्वयक के विरूद्ध वित्तीय, प्रशासनिक या अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर तत्काल शासन को सूचित किया जाय तथा इस सम्बन्ध में वांछित निर्णय लेने हेतु कार्यक्रम समन्वयक के चयन हेतु निर्धारित चयन समिति की बैठक आयोजित की जाय।

10. कार्यक्रम समन्वयक को निम्नलिखित कार्यों के सफलतापूर्वक सम्पादन के पश्चात् शासनादेश संख्या 885/रा.से.यो./मा.स.वि.–6(2002) दिनांक 5 सितम्बर 2002 में निर्धारित दरों पर आउट–आफ–पाकेट एलाउन्स का भुगतान किया जाय :–

(i) छात्र संख्या आंबटन प्रस्ताव, व्यय विवरण, वार्षिक आख्या, उपभोग प्रमाण पत्र, छात्र संख्या पंजीकरण, राजकोष से अनुदान आहरण तथा अन्य सभी वांछित सूचनाऐं निर्धारित प्रारूपों व तिथियों में शासन को उपलब्ध कराना।

(ii) एक वर्ष में न्यूनतम दो बार राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन तथा बैठकों में लिये गये निर्णयों का अनुपालन।

(iii) विश्वविद्यालय परिसरों/महाविद्यालयों/विद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थाओं से उपर्युक्त बिन्दु (i) पर वांछित सूचनाऐं तथा निस्तारित आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या प्राप्त करने के पश्चात् अनुदान अवमुक्त करना।

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ में योजना से सम्बन्धित समस्त रिकार्ड, रजिस्टर एवं लेखे जोखे का नियमानुसार रख रखाव।

(v) कार्यक्रम अधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित करवाना।

(vi) राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों की पूर्व सूचना केन्द्र व राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा इन कार्यक्रमों का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करवाना।

(vii) नियमित व विशेष शिविर कार्यक्रमों का निरीक्षण कर उसकी आख्या शासन को उपलब्ध कराना। कार्यक्रमों में शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुपालन न होने की दशा में तत्काल वांछित कार्यवाही करना तथा शासन को सूचित करना।

(viii) राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र, राज्य सम्पर्क प्रकोष्ठ तथा प्रशिक्षण व अभिविन्यास केन्द्र से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना।

(ix) विश्वविद्यालय परिसरों / महाविद्यालयों / विद्यालयों / पॉलिटेक्निक संस्थाओं से राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीयन हेतु विद्यार्थियों के निवे पत्र के प्रतिपर्ण प्राप्त होने पर आवंटित छात्र संख्या के आधार पर राष्ट्रीय सेवा योजना के बैज व डायरी उपलब्ध कराना।

(x) राष्ट्रीय सेवा योजना में न्यूनतम दो वर्षों तक लगातार नियमित कार्यक्रमों में संतोषजनक व सक्रिय सहभागिता करने पर स्वयंसेवी को राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र निर्गत करना।

(xi) राष्ट्रीय सेवा योजना की उपलब्धियों का प्रचार व प्रसार।

(xii) केन्द्र व राज्य सरकार से समय–2 पर प्राप्त निर्देशों का अनुपालन।

11. अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रीय सेवा योजना अंशकालिक कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति, अर्हताओं व कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय कुमार)
अपर सचिव

संख्या : 350 (1) / रा.से.यो. / मा.सं.वि. / 22(2002) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मन्त्रालय (राष्ट्रीय सेवा योजना) शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सहायक कार्यक्रम सलाहकार, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मन्त्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय केन्द्र–सी.383, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3. समन्वयक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण एवं अभिविन्यास केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना, साक्षरता निकेतन, मानस नगर, लखनऊ।
4. कुल सचिव एवं अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित समस्त विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
5. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, समस्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय, उत्तरांचल।
6. सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, पौड़ी / नैनीताल।
7. संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कुमायूं व गढ़वाल मण्डल ।
8. संयुक्त निदेशक (प्राविधिक शिक्षा) श्रीनगर।

आज्ञा से,

(संजय कुमार)
अपर सचिव